अनुदान संख्या 32 - वित्तीय सेवाएं विभाग
GRANT No. 32 - DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
पूरक	*Supplementary*		*65,00*	*64,95*	*-5*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	**Voted-**				
मूल	Original	1102,71,00	1364,20,00	1351,05,93	-13,14,07
पूरक	Supplementary	261,49,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				11,70,54
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	6072,06,00	6072,07,00	1986,00,00	-4086,07,00
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4086,07,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the voted portion of revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	15377.00			
पू.	S.	1077.00	15572.20	15479.21	-92.99
पु.	R.	-881.80			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	76850.00			
पू.	S.	9695.00	86544.00	86543.00	-1.00
पु.	R.	-1.00			
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	4.00			
पू.	S.	15377.00	25500.00	25500.00	..
पु.	R.	10119.00			
मुख्य शीर्ष "3465" सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाएं	Major Head "3465" General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	10003.00			
			..	..	..
पु.	R.	-10003.00			

(I) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹10008.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, इनमें से ₹10001.00 लाख मुख्य शीर्ष "3465" – "सामान्य वित्तीय संस्थान – सामान्य वित्तीय वित्तीय संस्थानों को सहायता – नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) को सहायता" के अंतर्गत अभिकरण के पास पूर्ववर्ती वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि की

(I) Provision of ₹10008.00 lakhs remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹10001.00 lakhs accounted for under the Major Head "3465" - "General Financial Institutions - Assistance to General Financial Institutions - Assistance to National Credit Guarantee Trustee Company

उपलब्धता के कारण थे।

(NCGTC)" - due to availability of unspent balances of previous year with the agency.

(II) मुख्य शीर्ष "2235" – "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम – सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अंतर्गत पेंशन – वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान" – ₹56848.00 लाख का मूल प्रावधान दिसंबर, 2022 में ₹1698.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹58546.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि ₹44634.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) भारतीय जीवन बीमा निगम से कम दावे प्राप्त होने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान कम करने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Pensions under Social Security Schemes - Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens" - the original provision of ₹56848.00 lakhs was augmented to ₹58546.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1698.00 lakhs in December, 2022. However, there was a saving of ₹44634.00 lakhs (including supplementary grant) - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to receipt of less claims from Life Insurance Corporation of India.

(III) मुख्य शीर्ष "2070" – "निदेशन और प्रशासन – ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटीएस)" – ₹15377.00 लाख का मूल प्रावधान दिसंबर, 2022 में ₹1077.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹16454.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, ऋण वसूली अधिकरण मदुरई के नवीकरण प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने तथा स्थापना संबंधी अन्य व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण ₹974.79 लाख तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head "2070" - "Direction and Administration - Debts Recovery Tribunals (DRTs)" - the original provision of ₹15377.00 lakhs was augmented to ₹16454.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1077.00 lakhs in December, 2022 which, however, remained unutilised to the extent of ₹974.79 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-finalization of proposal of renovation of Debt Recovery Tribunal, Madurai and requirement of less funds towards other establishment expenses.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹275.71 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत है।

(IV) Under one head saving of ₹275.71 lakhs occurred constituting 22 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹54755.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में ₹25072.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

2. The above savings were partly (₹54755.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹25072.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "2235" – "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम – सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अंतर्गत पेंशन

(I) Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Pensions under Social

– अटल पेंशन योजना (एपीवाई)" – ₹44633.00 लाख।

Security Schemes - Atal Pension Yojana (APY)" - ₹44633.00 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "2285" – "औद्योगिक वित्तीय संस्थान – औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को सहायता – दबावयुक्त आस्ति स्थिरीकरण निधियों (एसईसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का उन्मोचन" –₹10122.00 लाख।

(II) Major Head "2885" - "Industrial Financial Institutions - Assistance to Industrial Finance Institutions - Redemption of Securities issued to Stressed Assets Stabilization Funds (SASF)" - ₹10122.00 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4416"	Major Head "4416"				
कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Investments in Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	322200.00	136100.00	136100.00	..
पु.	R.	-186100.00			
मुख्य शीर्ष "4885"	Major Head "4885"				
उद्योगों तथा खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	Other Capital Outlay on Industries and Minerals				
मू.	O.	160000.00	50000.00	50000.00	..
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-110001.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6885"	Major Head "6885"				
उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण	Other Loans to Industries and Minerals				
मू.	O.	50000.00	..	..	..
पु.	R.	-50000.00			
मुख्य शीर्ष "7465"	Major Head "7465"				
सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण	Loans for General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	75000.00	12500.00	12500.00	..
पु.	R.	-62500.00			

(I) दस शीर्षों के अंतर्गत ₹436106.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, इसमें से ₹436100.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :–

(I) Provision of ₹436106.00 lakhs remained wholly unutilized under ten heads; of these ₹436100.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4416" – "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश" –

(A) Major Head "4416" - "Investments in Public Sector and other Undertakings" -

(क) "नाबार्ड की शेयर पूंजी में अंशदान" – ₹50000.00 लाख – एजेंसी द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों को जुटाने और अतिरिक्त इक्विटी सहायता की आवश्यकता नहीं होने के कारण।

(a) "Subscription to Share Capital of NABARD" - ₹50000.00 lakhs - due to mobilisation of its own internal resources by the agency and requirement of additional equity support did not arise.

(ख) "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार के शेयर का योगदान" –

(b) "Contribution of Government's Share for recapitalization of Regional Rural Banks

₹136100.00 लाख – सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए योगदान की आवश्यकता नहीं होने के कारण।

(RRBs)" - ₹136100.00 lakhs - due to non-requirement of contribution for recapitalization of Regional Rural Banks as per the decision taken by the Government.

(खा) मुख्य शीर्ष "4885" – "औद्योगिक वित्तीय संस्थानों में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारत के आयात–निर्यात बैंक की शेयर पूंजी में अंशदान" – ₹150000.00 लाख – सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एक्सपोर्ट – इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की शेयर पूंजी में अंशदान नहीं करने के कारण।

(B) Major Head "4885" - "Investments in Industrial Financial Institutions - Investments in Public Sector and other Undertakings - Subscription to the Share Capital of Export-Import Bank of India" - ₹150000.00 lakhs - due to non-subscription to the share capital of Export - Import Bank of India as per the decision taken by the Government.

(गा) मुख्य शीर्ष "6885" – "औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को ऋण – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण – सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएमएफआई)" – ₹50000.00 लाख – स्कीम के अंतर्गत गारंटी मांगने के लिए गैर–निष्पादनकर्ता आस्तियों की सूचना नहीं होने के कारण।

(C) Major Head "6885" - "Loans to Industrial Financial Institutions - Loans to Public Sector and other Undertakings - Credit Guarantee Scheme for Micro Finance Institutions (CGSMFI)" - ₹50000.00 lakhs - due to non-reporting of Non-Performing Assets for invocation of Guarantee under the scheme.

(घा) मुख्य शीर्ष "7465" – "सामान्य वित्तीय संस्थान – आंशिक ऋण गारंटी योजन के अंतर्गत ऋण" – ₹50000.00 लाख – योजना के अंतर्गत सरकारी गारंटी नहीं मांगने के कारण।

(D) Major Head "7465" - "General Financial Institutions - Loans under Partial Credit Guarantee Scheme" - ₹50000.00 lakhs - due to non-invocation of Government Guarantee under the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष "7465" – "सामान्य वित्तीय संस्थान – कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस)" – ₹12500.00 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम गारंटियां जारी करने के कारण हूई।

(II) Under Major Head "7465" - "General Financial Institutions - Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Sectors (LGSCAS)" - saving of ₹12500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs) was due to issuance of lesser Guarantees.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹39999.00 लाख) उपयोग कर ली गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4885" – "औद्योगिक वित्तीय संस्थानों में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) की शेयर पूंजी में अंशदान" के अंतर्गत दिसंबर, 2022 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

4. The above savings were partly (₹39999.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2022 under Major Head "4885" - "Investments in Industrial Financial Institutions - Investments in Public Sector and other Undertakings - Subscription to the Share Capital of Industrial Finance Corporation of India (IFCI)".